फर्द अहकाम

श्रवण लाल बनाम किशनदास उर्फ रामकिशनदास

अपील संख्या 61/2016

क्रम सं0	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.07.2019	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित। अपीलांट/प्रार्थी अभिभाषक की दलील है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.1960 जिससे नामान्तकरण संख्या 6 ग्राम मानपुरा भाटावाला स्वीकृत किया गया हैं, वह न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के प्रतिकूल एवं विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम मानपुर भाटावाला तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा अपीलान्ट एव प्रोफार्मा रेस्पोडेन्टस के पिता रामेश्वर पुत्र चन्दा बागडा की खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि एक चालाक किस्म का व्यक्ति है, ने अपनी चालाकी, धुर्तता से अपने नाम धर्मार्थ के प्रयोजनार्थ बिना किसी लिखा पढ़ी तथा बिना किसी विक्रय पत्र के खसरा नम्बर 147 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करा ली, जो अनुचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धर्मार्थ में दी गई भूमि का अन्य को बेचान भी कर दिया, जो कानूनन अवैद्य है। गॉव वालों ने जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को धर्मार्थ के लिये दी गई भूमि का बेचान करने पर एतराज उठाया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धमकी दी कि वह सारी जमीन का बेचान कर देगा। दिनांक 18.01.2016 को जानकारी होने पर अपीलान्ट ने अपने लडके से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने को कहा, जिस पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 20.01.2016 को तहसील में प्रस्तुत किया। नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश का इल्म हुआ। इसके पश्चात् दिनांक 12.02.2016 को नियमानुसार नकल प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर दी है। अपीलान्ट/प्रार्थी अधिवक्ता ने आर0बी0जे0 (15) 2008 पेज 761, आर0बी0जे0 (16) 2009 पेज 10, 2009 (1) आर0आर0टी0 467 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद मानी जावे तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जावे, ताकि पक्षकार को सही व उचित न्याय मिले। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 ने अपीलान्ट अधिवक्ता की दलील का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी के पिता द्वारा ग्राम मानपुर भाटावाला तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नम्बर 147 में से 4 बीघा 3 बीस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हस्तान्तरित की गयी है। एवं ग्राम पंचायत बोर्ड मोहनपुरा के समक्ष उपस्थित होकर भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति दी। जिस पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 29.03.1960 को स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में बहैसीयत खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 दर्ज है। उक्त अपीलान्ट के पिता द्वारा किये गये। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

Scanned by CamScanner

समस्त कृत्यों की जानकारी शुरू से ही अपीलान्ट को रही है। अपीलान्ट के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तकरण को कभी–भी किसी न्यायालय में गलत ठहराने हेतु कोई वाद या अपील प्रस्तुत नही हुयी है। अपीलान्ट द्वारा बदनीयती पूर्वक यह अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष करीब 58 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो कि स्पष्टतः मियाद बाहर होने से खरिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/ अपीलार्थी का कहना कि उसे दिनांक 18.01.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धमकी दिये जाने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ है, कथन मिथ्या है। अपीलान्ट/प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर न कोई कब्जा है, न ही वह अपने किसी प्रकार का हक–हकूक रखते है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त ए0आई0आर0 2012(एस0सी0) 1629, 2014 (4) डी0एन0जे0 1638, 2002 आर0आर0डी0 पेज 333, 2005 आर0आर0डी0 पेज 536 अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा 58 वर्ष बाद बिना किसी हक–हकूक आदि के यह अपील प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतया मियाद बाहर प्रस्तुत हुयी है। वैसे भी नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही है। जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। अपीलांट यदि वादग्रस्त भूमि में अपना अधिकार समझते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना चाहिये।

हमने विद्वान उभयपक्ष की दलील पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर भी मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 12.02.2016 को धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट/ प्रार्थी अधिवक्ता का यह तर्क मान्य योग्य नही हैं कि उसे अपीलाधीन आदेश का ईल्म दिनांक 16.01.2016 को हुआ है। क्योंकि तथ्यों के समर्थन में अपीलान्ट/प्रार्थी पक्ष की ओर से ऐसे कोई ठोस तथ्य या राजस्व रिकार्ड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुये है। वर्ष 1960 में दर्ज किये गये नामान्तरकरण को अपील में 58 वर्ष बाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है, जिसका कोई ठोस आधार नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गौर करने के बाद अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 तथ्यहीन, सारहीन होने से खारिज करते हुये प्रस्तुत अपील को भी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। मूल नामान्तरकरण सं. 6 दिनांक 29.03.60 ग्राम मानपुर भाटावाला तहसीलदार सांगानेर को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner